वित्त शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों

- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के अनुसार हाल ही में आयोजित वित्त शिखर सम्मेलन को वास्तविक निवेश के मार्ग की रूपरेखा तैयार करनी होगी जो दक्षिण के साथ वित्तीय एकजुटता बढ़ाने में सहायता करे।
- G20 का अध्यक्ष भारत, फ्रांस के साथ शिखर सम्मेलन की संचालन समिति की सह-अध्यक्षता कर रहा है जिसे वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज माना जा सकता है।

वादे और भुगतान

- जलवायु परिवर्तन और निष्क्रियता की कीमत में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा निम्न और मध्यम आय वाले देश भुगत रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-21 और जैव विविधता सम्मेलन COP-15 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश का पैमाना वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर हर साल अतिरिक्त $4 ट्रिलियन का है।
- हालिया शिखर सम्मेलन के लिए जारी वन प्लैनेट लैब के श्वेत पत्रों के अनुसार पेरिस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष $2 ट्रिलियन से अधिक की राशि की आवश्यकता है और संयुक्त राष्ट्र SDG को प्राप्त करने के लिए $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है।

कमियां

- अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग अप्रत्याशित होने के कारण वादों और भुगतान के बीच व्यापक अंतर देखने को मिलता है क्योंकि विकासशील देशों की तरलता सम्बंधित चुनौतियां समाधान के बीच बाधा उत्पन्न करती हैं, विगत वर्षों में केवल 204 अरब डॉलर की आधिकारिक विकास सहायता ने जलवायु परिवर्तन रोकथाम को रोक दिया।

- वैश्विक जलवायु निवेश का केवल 25% दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जाता है जो सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं।
- वैश्विक कोष में धन आने से पूर्व ही संवेदनशील क्षेत्रों पर कई शर्तें लगाकर इन देशों की वित्तीय स्वतंत्रता पर दबाव डाला जाता है। विकासशील देशों की कर संरचना संस्थागत कमजोरी, अवैध वित्त प्रवाह और उच्च जोखिम धारणाओं का कारण बनती है।
- विकासशील देश अपने स्वयं के विकास परिवर्तन के लिए सीमित सार्वजनिक धन के माध्यम से भुगतान करते हैं क्योंकि कम और मध्यम आय वाले देशों में निवेश के वास्तविक या कथित जोखिमों को वहन करने के लिए रिटर्न पर्याप्त नहीं है।

आवश्यक घटक

- वित्त शिखर सम्मेलन एक परिणामी वर्ष के मध्य में निर्धारित किया गया है, जिसमें विश्व बैंक के सुधारों, भारत की G20 अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र के SDG शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन और COP-28 के बारे में चर्चा शामिल है।
- पेरिस समझौते के तहत यह शिखर सम्मेलन सफल माना जायेगा, अगर यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और विकास संरचना के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में काम कर सके, जिसके अंतर्गत तीन घटक शामिल होने चाहिए: संधि, मंच और मार्ग।

आवश्यकता

(a) **पहला-** वित्त के वैश्विक प्रवाह के लिए एक समझौते की आवश्यकता, जिसमें सामाजिक अनुबंधों के दो स्तर शामिल हों - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय।

घरेलू स्तर पर, उच्च ऋण विकासशील देशों के राजकोषीय स्थान को सीमित करता है।

- देशों के इस स्थान को बढ़ाने के लिए मौजूदा कर संरचनाओं के आधुनिकीकरण और मानकीकरण की आवश्यकता होगी, अवैध सीमा पार धन की आवाजाही पर रोक लगाने, कर प्रशासन को सशक्त बनाने और अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर अंकुश लगाना होगा।
- इन प्रयासों के साथ उत्सर्जन-गहन वैश्विक प्रवाह में शामिल अभिकर्त्ताओं और वस्तुओं के आनुपातिक कराधान का एक साथ होना आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर - अनुकूलन के साथ जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि और क्षति के लिए वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अनुबंध को खाली प्रतिज्ञाओं के बजाय वैश्विक एकजुटता की नींव मजबूत करनी चाहिए।

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

वैश्विक प्रवाह में टैप करके नए संसाधन जुटाए जा सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के उत्पादन, माल की शिपिंग और जीवाश्म ईंधन के परिवहन पर कर लगाना; उदाहरण के लिए, प्रत्येक बैरल तेल पर केवल एक डॉलर का कर लगाने से प्रति वर्ष लगभग 30 बिलियन डॉलर कमाए जा सकते हैं।

(b) दूसरा-

- वित्त के जोखिम को कम करने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करना और स्थायी बुनियादी ढांचे में बड़ी मात्रा में निजी निवेश जुटाना।
- कमजोर देशों को कई प्रकार के मिश्रित वित्त की आवश्यकता होती है - नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने, आजीविका के लिए स्वच्छ तकनीक, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और उभरती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के सह-विकास के लिए। इन आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु वैश्विक स्वच्छ निवेश जोखिम न्यूनीकरण तंत्र की आवश्यकता होगी जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जोखिम कम करने के साथ-साथ पारदर्शिता और वास्तविक समय के डेटा मनोवैज्ञानिक और वित्तीय विभाजन को पाट सके।

डिलिवरेबल्स मात्रात्मक वस्तुएं या सेवाएं हैं जिन्हें किसी परियोजना के विभिन्न चरणों के साथ-साथ एक परियोजना के अंत में प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

डिलिवरेबल्स परियोजनाओं को पाठ्यक्रम पर रखने में मदद करते हैं तथा समय और धन के कुशल आवंटन की अनुमति देते हैं।

(c) **तीसरा** – राजनीतिक मार्ग तैयार करना।

- एक शिखर सम्मेलन से दूसरे शिखर सम्मेलन तक जलवायु वित्त पर समयबद्ध डिलिवरेबल्स बनाता है।
- शिखर सम्मेलन को वित्त के गणित, वितरण के तंत्र की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और अगले दो वर्षों में वास्तविक निवेश की गति को स्थापित करना चाहिए।

असम में आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

- चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या अपरिवर्तित रखने के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि कर असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया गया है।
- चुनाव आयोग ने मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित करने के बाद 11 जुलाई तक इससे सम्बंधित सुझाव और आपत्तियों को भी

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ - किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया से है। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।

परिसीमन आयोग का कार्य हाल की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करना है। सीमाओं के पुनर्निर्धारण में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को अपरिवर्तित रखना अर्थात प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परिवर्तन न करना शामिल है।

THE STUDY
An Institute for IAS

माँगा है।

मसौदा परिसीमन प्रस्ताव

- चुनाव आयोग के अनुसार परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़े पर विचार किया गया था जिसके तहत असम में कुल 126 विधानसभा सीटें और 14 लोकसभा सीटें हैं।
- मसौदे के प्रस्ताव के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 19 और अनुसूचित जाति के लिए 8 से 9 कर दी गई है।
- स्वायत्त बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 3 से बढ़कर 19 हो गई है। इसी तरह, पहाड़ी पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले ने एक विधानसभा क्षेत्र प्राप्त किया है।
- जबकि लोकसभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, असम के द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र का नाम काजीरंगा के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

2001 की जनगणना पर विभाजित

- आयोग ने कुछ जिलों में कम जनसंख्या वृद्धि और कुछ असामान्य रूप से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले में "जनसांख्यिकीय पैटर्न में बदलाव" का प्रयास किया।
- आयोग के अनुसार कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों को नुकसान में न डालते हुए, इन जिलों में सीटों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए।
- सामान्य मानदंडों की तुलना में 25% की भिन्नता की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सामाजिक समूह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण अलग-थलग महसूस न करे।
- असम में बदलाव विविध भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखेगा।

भारत में परिसीमन कैसे किया जाता है?

- राज्यों के भीतर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग –

यह एक स्वायत्त एवं अर्द्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था।

भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गयी थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता है।

चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित शक्ति होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं।

- संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद, विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है।

भूजल निष्कर्षण से पृथ्वी घूर्णन प्रभावित

चर्चा में क्यों ?

- एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी से लगातार भूजल के निष्कर्षण की गतिविधियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी की धुरी में लगभग 80 सेमी. पूर्व की ओर झुकाव देखने को मिला है।
- इसलिए निष्कर्ष में कहा गया है कि मानव के भूजल निष्कर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित किया है।
- अध्ययन के अनुसार, 1993-2010 में लगभग 2,150 बिलियन टन भूजल को पंप करके महासागरों में बहा दिया गया, जिससे यह वैश्विक समुद्र-स्तर में वृद्धि के महत्वपूर्ण योगदानकर्त्ताओं में से एक बन गया है।
- वैज्ञानिक दुष्टतापूर्ण तरीके से पृथ्वी के गर्म अंतरतम क्षेत्र के रहस्यों को खोलते हैं और उनके अनुसार पानी की गति पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में पानी की गति ने पृथ्वी की धुरी को बदलने में योगदान दिया।
- पृथ्वी की धुरी बदलती रहती है। यह एक स्पिनिंग टॉप की तरह है, जहाँ मौसमी परिवर्तन, पिघले हुए कोर और यहाँ तक कि शक्तिशाली तूफान के कारण पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव हर साल कई मीटर चौड़े एक गोलाकार पैटर्न में घूमता है।
- हालिया अध्ययन के अनुसार मानव इसकी गति को चमकदार आकाशगंगाओं या क्वासरों के केंद्रों जैसी खगोलीय घटनाओं के सापेक्ष ट्रैक करने में सक्षम हैं।
- लेकिन पहले भूजल की भूमिका पर विचार नहीं किया गया था। इसी कमी को पाटने के लिए सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक जलवायु मॉडल का इस्तेमाल किया और जिसने बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों को पिघलाने के माध्यम से पानी की गति के साथ पृथ्वी की धुरी में बदलाव को जोड़ा।

पृथ्वी के घूर्णन गति क्या है?

धरती यानी पृथ्वी हर 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकेंड अपना एक चक्कर पूरा करती है जिसमें से आधा दिन होता है और लगभग आधी रात, इसके घूमने की गति 1674 किलोमीटर प्रतिघंटा है।

पृथ्वी की घूर्णन गति का आभास न होने का मुख्य कारण घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना है।

घूर्णी ध्रुव बिंदु पर ग्रह घूमता है। यह बिंदु, जो ग्रह के घूर्णन के अक्ष पर स्थित है, एक प्रक्रिया में चलता है जिसे ध्रुवीय गति कहा जाता है।

पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं, जैसे-पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात होती।

- अध्ययन में जलाशयों और बांधों में जमा पानी के प्रभावों को जोड़ा गया, लेकिन कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि मॉडल केवल धुरी के देखे गए बहाव से मेल खाता था।
- मध्य अक्षांश क्षेत्रों से भूजल को पंप करने से बहाव सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसी के परिणाम स्वरूप भूजल पुनर्वितरण की सबसे अधिक मात्रा उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में हुई क्योंकि दोनों मध्य-अक्षांश पर स्थित हैं।
- 1993 और 2010 के बीच की अवधि के दौरान वैश्विक समुद्र स्तर में 6.24 मिमी. की वृद्धि के लिए भूमिगत जलाशयों या जलभृतों से पर्याप्त भूजल पंप किया गया था।

भारत की स्थिति

- भूजल की कमी पिछले एक दशक से पूरे भारत में एक विशेष चिंता का विषय रही है।
- भारत के भूजल की कमी का लगभग 95% उत्तर भारत में पाया गया क्योंकि यहाँ भूजल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है।
- भूजल के अंधाधुंध उपयोग के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंभीर भूजल स्तर है, जबकि राजस्थान और गुजरात में शुष्क जलवायु के कारण भूजल स्तर कम है।
- यहाँ पाई जाने वाली जलवाही स्तर की क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूजल की उपलब्धता भी कम है।

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669